



३४११

दूरभाष - 2286709  
2286710  
नव चेताना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २५६७ / ०५/७६ / एक / २०१५-१६  
सेवा में,

दिनांक : ०९ सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-गोण्डा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बसियों तथा मलिन बसियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बसियों तथा मलिन बसियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या 37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20282094066	IFSC Code ALLA 0212499	230.525
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०७ में वावू गेडिकल रस्टोर रो गन्ना दफतर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.758
2	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०६ रफीकनगर में बंगाली मिस्त्री रो उपाध्याय आयरन रस्टोर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	5.858
3	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०५ में सर्व य०प० ग्रामीण बैंक से स्टेशन चौराहा तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.007
4	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०४ शास्त्री नगर में चन्द्रा की दुकान से मंगल भवन नर्सरी तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.007
5	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०१ पटेल नगर में पंचायती मन्दिर मोड़ से चौपड़ा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.506
6	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०९ गायत्री नगर में मनकापुर ब्लाक से बैंक ऑफ बड़ौदा तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.207
7	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०९ गायत्री नगर में मारुति आर०के०पी०के० से सी०वी० सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.004
8	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०९ गायत्री नगर में सिद्धार्थ मेर्मेरियल से पंकज बुक लिपो तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.506
9	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०९ गायत्री नगर में औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.004
10	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०४ शास्त्री नगर में डा० प्रशान्त श्रीवास्तव के दुकान से पपू गौर्या तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.253
11	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०८ आजाद नगर में वोपड़ा के मकान से चौक मोड़ तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.256
12	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड नं० ०६ रफीनगर में हार्डवेयर से राकेश सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	10.349



३४१/२

दूरभाष - 2266709  
2286710  
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
13	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 08 आजाद नगर में राकेश सिंह के दुकान रो मरिजद मोड़ तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.011
14	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 03 में फोटो रस्टूडियो से सूर्य नरायन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.011
15	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 05 में गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक से इलाहाबाद बैंक तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.758
16	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 01 पटेल नगर में नवरंग ग्लास हाउस रो पंचायती मन्दिर रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.758
17	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 09 गायत्री नगर में गायत्री मन्दिर रो होण्डा एजेन्सी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.929
18	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 04 शारत्री नगर में रेटेशन रोड पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से कर्बला इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	12.011
19	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 04 शारत्री नगर में विजय के घर से लाल मुन्ना पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	1.502
20	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 01 पटेल नगर में नीतू जैन के मकान से मदन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	10.509
21	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 05 आजाद नगर में नवाबगंज मार्ग से इण्डियन गैस गोदाम तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	2.997
22	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 04 शारत्री नगर में पोस्ट ऑफिस से रवराज ड्रैक्टर रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.004
23	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 04 शारत्री नगर में शंकर सहाय के मकान से बजाज एजेन्सी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.506
24	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 01 पटेल नगर में बीकू होम्योपेथिक स्टोर में मूर्तिकला जयपुर वाले तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.459
25	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 02 जवाहर नगर में सोनू खां के घर से साइनिंग टेलर के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	1.609
26	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 01 पटेल नगर में नवरंग ग्लास हाउस से किशोरी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.758
27	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 01 पटेल नगर में जै0पी0 रक्कूल रोड से महिन्द्रा एजेन्सी तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.004
28	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 03 गाधीनगर में पुरे हृदय मार्ग से कमलाकान्त के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	11.502
29	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 10 सुभाष नगर में सरदार मोहर सिंह के घर रो हनुमान प्रसाद के दुकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.506
30	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 09 गायत्री नगर में भरत खाद भण्डार से विनय सिंह की दुकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.011
31	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 06 रफीनगर में रफीक कुरैशी के मकान से पप्पू राईन तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	2.762
32	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 मनकापुर	वार्ड नं0 04 शारत्री नगर में कन्या प्राथमिक विद्याल से पोरट ऑफिस तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.006



३८९/४

दूरभाष - 2286709  
2286710  
नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	टिटीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
33	गोण्डा योग	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पं० मनकापुर	वार्ड नं० ०५ आजाद नगर मे नफीस खां के मकान रो० एस०पी० वर्मा के प्लाट तक इंटरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	9.197 230.525

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में री०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निभ दिशा निर्देशों के अनुरार ही किया जाये।

- 1- उप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में री०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है जिससे कि शारकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाद्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



दूरभाष - 2286709  
2286710  
नद चेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ - 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्ता की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किशत में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, राम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक